बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 6523323

ग्रा.वि.07(SAS)- 03/2023

पटना, दिनांक 12/11/2026

प्रेषक,

मन्जु प्रसाद,
अपर सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2026-27 में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी हेतु कुल 400.00 लाख (चार करोड़) रूपये आवंटन के संबंध में ।**

प्रसंगः- स्वीकृत्यादेश सं0-6519143 दिनांक- 12.11.2026

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी अंतर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-6519143 दिनांक- 12.11.2026 द्वारा कुल 400.00 लाख (चार करोड़) रूपये का व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2. सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी के पत्रांक 425 दिनांक 27.10.2026 द्वारा 400.00 लाख (चार करोड़) रूपये का आवंटन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । तदनुसार स्वीकृत राशि में से वित्तीय वर्ष 2026-27 में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी अंतर्गत प्रशासनिक मद में 400.00 लाख (चार करोड़) रूपये आवंटित की जाती है ।

3. वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक J-12014/01/2026-RE-V (396521) SL. No. 30 दिनांक 13.10.2026 द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी हेतु SNA SPARSH के तहत Mother Sanction के रूप में केन्द्रांश मद की कुल राशि 400.00 लाख (चार करोड़) रूपये उपलब्ध कराया गया है ।

4. आवंटित राशि निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत विकलनीय होगा :-

(राशि लाख में)

क्र0सं0		मद	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	केन्द्रांश	प्रशासनिक	मुख्य शीर्ष-2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0202-सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी (बिहार), मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010202	31 04 सहायक अनुदान वेतन आदि	350.00
				31 06 सहायक अनुदान गैर वेतन आदि	50.00
कुल					400.00

5. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.N. 1(27)PFMS/2020 दिनांक 13.07.2023 एवं वित्त विभाग, बिहार द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेश के आलोक में राशि का व्यय / हस्तांतरण सुनिश्चित किया जायेगा ।

6. आवंटित राशि का व्यय संबंधित Implementing Agency के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी के निदेशक/निधि प्रबंधक द्वारा किया जाएगा ।

7. संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जाएगा । SNA SPARSH Module से राशि निकासी के आलोक में विहित प्रावधान के तहत व्यय सुनिश्चित किया जाएगा ।

8. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग, (बजट शाखा), बिहार, पटना को दी जा रही है ।

अनु0 – यथोक्त ।

विश्वासभाजन

12.11.26

(मन्जु प्रसाद)
अपर सचिव

ज्ञापांक 6523323 पटना, दिनांक 12/11/2026
ग्रा.वि.07(SAS)- 03/2023

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार (ले0 एवं ह0), बीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12.11.26
अपर सचिव

ज्ञापांक 6523323 पटना, दिनांक 12/11/2026
ग्रा.वि.07(SAS)- 03/2023

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, बिहार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बी0आर0डी0एस0, बिहार पटना / प्रशाखा पदाधिकारी-10 (बजट शाखा) / आई0टी0 मैनेजर (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12.11.26
अपर सचिव

ज्ञापांक 6523323 पटना, दिनांक 12/11/2026
ग्रा.वि.07(SAS)- 03/2023

प्रतिलिपि:- सी० एफ० एम० एस० टीम, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12.11.26
अपर सचिव